राज्य वित्त आयोग– द्वितीय के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान

आवंटन:

- राज्य वित्त आयोग–द्वितीय के तहत राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में वर्ष 2000–2001 से 2004–2005 तक रूपये 491.88 करोड़ उपलब्ध हुये।
- राज्य वित्त आयोग– द्वितीय की सिफारिशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के कुल अनुदान में से 85% अनुदान राशि ग्राम पंचायत, 12% अनुदान राशि पंचायत समिति और 3% अनुदान राशि जिला परिषदों को आवंटित की गई।
- जिला स्तर पर आवंटित की जाने वाली राशि का 80% 1991 की जनसंख्या, 10% क्षैत्रफल, 5% साक्षरता एवं 5% गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर आवंटित किया गया। जिलेवार वितरण के बाद पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया गया।

उद्देश्य:

- पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान ग्रामीण क्षैत्र में आधरभूत जनसेवाओं के सृजन, सुधार सुदृढीकरण, संवर्द्धन, उन्नयन, विस्तार और रख–रखाव के उपयोग के लिए दिया गया। यह राशि स्कूल भवनों और अन्य सामुदायिक भवनों के रख–रखाव एवं उनकी मरम्मत, बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा को बढावा देने तथा बस अड्डे, शौचालय और प्याउ जैसी जनसुविधाओं के निर्माण के लिए दी गई।
- ऐसे अधूरे कार्य जिनकी योजनाएं बन्द हो चुकी हैं अथवा कार्य पूर्ण कराने हेतु संबंधित योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध नही है, को पूर्ण करने के उपयोग में भी लेने हेतु दी गई।
- जिला परिषद/पंचायत समितियो के क्षैत्राधिकार में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाओं के पर्यवेक्षण व मोनीटरींग में भी अनुदान का उपयोग करने की व्यवस्था की गई।

प्रोत्साहन योजनाः

- राज्य वित्त आयोग– द्वितीय द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके स्वयं के संसाधनों में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ''प्रोत्साहन योजना'' आरम्भ किए जाने की सिफारिश की गई थी।
- इस ''प्रोत्साहन योजना'' के तहत यदि कोई ग्राम पंचायत पंचायती राज अधिनियम/नियमों के अध्यधीन रहते हुए उनमें उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपनी निजी आय में वृद्धि करती है तो संगृहीत किए गए अतिरिक्त राजस्व राशि के बराबर अनुदान उस ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में आवंटित की गई।
- ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में रूपये 11.21 करोड उपलब्ध कराये गये।